न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 08/2021
तारीख फैसला–15/06/2022

प्रार्थी–

वागाराम पुत्र गेनारामजी, आयु– 41 वर्ष, जाति– जणवा चौधरी (सीरवी), निवासी– माडपुर, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

बनाम–

अप्रार्थी–

तहसीलदार, देसूरी भूमिधारी राजस्थान सरकार।

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनिमय,1956 :–

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रदीपसिंह सोलंकी
2– अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :– दिनांक–15/06/2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– मौजा सरहद ग्राम– माडपुर, पटवार हल्का– माडपुर, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) मे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 92/1 क्षेत्रफल– 0.5300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, लगान रूपयां– 3.7100 विद्यमान है मूल आराजी खसरा नम्बर– 92 क्षेत्रफल– 1.6500 हैक्टर पूर्व मे प्रार्थी के पिता गेनाराम पुत्र वनाराम की खातेदारी की थी, प्रार्थी के पिता उक्त गेनाराम की मृत्यु के समय प्रार्थी अवयस्क था एवं प्रार्थी के पिता मृत गेनाराम की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या– 129 भरा गया तब प्रार्थी के भाईयो/माता के साथ विरासत नामान्तरकरण मे प्रार्थी के सही नाम वागाराम की बजाय गलत नाम "वालाराम" भूलवंश दर्ज करवा दिया गया था, जिससे उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम वालाराम दर्ज चला आ रहा है एवं उक्त मूल खसरा नम्बर 92 के खातेदारो के म[illegible]डा होकर प्रार्थी के बंट की भूमि के बटा नम्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 [illegible] इस प्रकार यह आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

––क्रमशः पेज– 2 पर.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

नम्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी की है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का गलत नाम वालाराम दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम " वागाराम " है एवं प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, स्कूल टी.सी., आधार कार्ड, विद्युत बिल, बैक एकाउन्ट, जन आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि तमाम दस्तावेजो मे प्रार्थी का सही नाम "वागाराम" ही दर्ज चला आ रहा है। प्रमाणस्वरूप उपरोक्त दस्तावेजो की प्रतियां प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत है। एवं प्रार्थी का सही नाम वागाराम होने एवं वागाराम एवं वालाराम दोनो नाम का एक ही व्यक्ति प्रार्थी होने का प्रमाण–पत्र स्थानीय ग्राम पंचायत, माडपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न कर प्रस्तुत है। इस प्रकार मात्र राजस्व रिकार्ड मे गलति से प्रार्थी का नाम वालाराम दर्ज हो गया है, जबकि प्रार्थी का सही नाम "वागाराम" है एवं उक्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 हैक्टर प्रार्थी की ही खातेदारी की है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के गलत नाम " वालाराम पुत्र गेनाराम " से दर्ज हो गई है, जिससे प्रार्थी की उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का दर्ज गलत नाम "वालाराम" के स्थान पर प्रार्थी के सही नाम " वागाराम " को संशोधित कर दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्याय संगत है। चूंकि प्रार्थी के तमाम दस्तावेजो मे प्रार्थी का सही नाम " वागाराम" दर्ज होने से प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी के रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम "वालाराम" दर्ज होने से प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थी को राज्य सरकार आदि से देय सहायता आदि भी प्राप्त नही हो पा रही है अतः उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का गलत नाम को संशोधित किया जाकर वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज नाम " वालाराम पुत्र गेनाराम " के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम " वागाराम पुत्र गेनाराम" संशोधित किया जाकर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सरहद ग्राम– माडपुर, पटवार हल्का– माडपुर, तहसील– देसूरी मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 92/1 रकबा–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 3 पर......

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

0.5300 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के नाम का संशोधन किया जाकर प्रार्थी का सही नाम यानि रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के नाम "वालाराम पुत्र गेनाराम" के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम **"वागाराम पुत्र गेनाराम"** संशोधित किया जाकर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब इस प्रकार पेश हुआ कि– यह है कि प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–1 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। यह है कि प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–2 मे निवेदन निम्नानुसार है कि मौजा माडपुर के ख0नं0 92 रकबा– 1.65 है0 भूमि गैनाराम पुत्र वनाराम कौम सीरवी सा0 देह की खातेदारी अंकित रही है। प्रार्थी के पिता गेनाराम की मृत्यु होने पर मौजा माडपूर का नामा0सं0 129 के जरिये गेनाराम के स्थान पर मु0 रम्बा बेवा गेना, खरताराम, दरगाराम, वालाराम पि0 गेना कौम सिरवी सा0 देह खातेदार दर्ज किया गया। भू.अ. निरीक्षक द्वारा अपनी जांच मे सही होना दर्ज कर हस्ताक्षर किऐ गये व तहसीलदार देसूरी द्वारा 27/8/98 स्वीकृत किया गया, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद किया गया जो आजदिनांक तक है व सही है। यह कि प्रार्थना–पत्र का पैरा संख्या–3 प्रार्थी से संबंधित है। जवाब श्रीमान् की सेवामे पेश है।, जो शामिल मिसल किया गया।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया एवं निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता उक्त गेनाराम की मृत्यु के समय प्रार्थी अवयस्क था एवं प्रार्थी के पिता मृत गेनाराम की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या– 129 भरा गया तब प्रार्थी के भाईयो/माता के साथ विरासत नामान्तरकरण मे प्रार्थी के सही नाम वागाराम की बजाय गलत नाम "वालाराम" भूलवंश दर्ज करवा दिया गया था, जिससे उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का गलत नाम वालाराम दर्ज चला आ रहा है एवं उक्त मूल खसरा नम्बर 92 के खातेदारो के मध्य बंटवाडा होकर प्रार्थी के बंट की भूमि के बटा नम्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 हैक्टर बने। इस प्रकार यह आराजी खसरा नम्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 हैक्टर प्रार्थी की खातेदारी की है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का गलत नाम वालाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

—क्रमशः पेज– 4 पर

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थी का सही नाम " वागाराम " है एवं प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, स्कूल टी.सी., आधार कार्ड, विद्युत बिल, बैंक एकाउन्ट, जन आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि तमाम दस्तावेजो मे प्रार्थी का सही नाम "वागाराम" ही दर्ज चला आ रहा है अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी के राजस्व अभिलेख मे प्रार्थी का नाम दुरूस्ती किया जाकर "वालाराम" के स्थान पर सही नाम "वागाराम" किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, देसूरी की ओर से प्रस्तुत जबाब का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थी के राशनकार्ड, टी.सी., ग्राम पंचायत, माडपुर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, विद्युत बिल की प्रति, बैंक खाता की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, निर्वाचन आयोग के फोटो पहचान–पत्र की प्रति ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति आदि से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी का सही नाम "वागाराम" है एवं मात्र विरासत नामान्तरकरण के समय प्रार्थी का नाम रिकार्ड मे भूलवश "वालाराम" दर्ज कर लिये जाने मात्र से उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम "वालाराम" दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचन मे मेरी विनम्र राय मे प्रार्थी का नाम शुद्धिकरण हस्ब धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत शुद्धिकरण किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है एवं प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार योग्य मानती हूँ।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी का यह आवेदन अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि– मौजा सरहद ग्राम– माडपुर, पटवार हल्का– माडपुर, तहसील– देसूरी मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी कृषि भूमि [illegible] म्बर– 92/1 रकबा– 0.5300 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी [illegible] किया जाकर प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested

——क्रमशः पेज– 5 पर......

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सही नाम यानि रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी के नाम ''वालाराम पुत्र गेनाराम'' के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम **''वागाराम पुत्र गेनाराम''** संशोधित किया जाकर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार, देसूरी को आदेश की पालना हेतू तहरीर जारी हो। तदनुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–15/06/2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:19:02 IST
Reason: SelfAttested